

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 02 सितम्बर, 2003 / भाद्रपद 12, 1924 (शक)

संख्या: 269

रादर्यों की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको सरागमान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डॉ. जगदीश मुखी सर्वश्री राम भज, नन्द किशोर गर्ग, पूरन चन्द योगी रविन्द्र नाथ बंसल, ब्रह्म सिंह तंवर, साहब सिंह चौहान, सुशील चौधरी एवं अविनाश साहनी को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 01/09/2003 को पूर्वाह्न 11.45 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत संसद मार्ग पर नजर बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 01/09/2003 को पूर्वाह्न 11.55 बजे वहीं से रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday, 02nd September, 2003/ Bhadrapada 12, 1924(Saka)

No.: 269

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Dist., New Delhi: -

"I have the honour to inform you that Dr. Jagdeesh Mukhi, S/Shri Ram Bhaj, Nand Kishore Garg, Puran Chand Yogi, Ravinder Nath Bansal, Brahm Singh Tanwar, Sahab Singh Chauhan, Sushil Chaudhary & Avinash Sahni Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at Parliament Street at 11.45 AM on 01/09/2003.

They alongwith their supporters were released at 11.55 A.M. on the same day i.e. 01/09/2003."

SIDDHARTH RAO
SECRETARY